

कार्यालय:: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश
संख्या-एम0ई0-3 / यू0जी0-2022 / 2582

लखनऊ दिनांक 10/11 2022

यू0पी0नीट यू0जी0(एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0)-2022 के अन्तर्गत आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश

1. यू0पी0 नीट यू0जी0-2022 की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय कोविड-19 महामारी हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. यू0पी0 नीट यू0जी0-2022 हेतु जारी शासनादेश/ब्रोशर/अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसमें निहित व्यवस्थाओं के आलोक में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
3. राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया राजकीय/स्वशासी मेडिकल/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्ण की जायेगी।
4. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी। नोडल सेन्टर की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
5. राजकीय/निजी क्षेत्र में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के आवंटन-पत्र पर कालेज/नोडल सेन्टर के नाम अंकित है।
6. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय निम्नांकित अभिलेख मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
 1. हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र
 2. आरक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्र
 3. डोमिसाइल प्रमाण-पत्र (आवश्यकतानुसार)
 4. नीट-2022 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड
 5. आई0डी0
 6. आवंटन-पत्र
7. ऐसे अभ्यर्थी जिनका नीट यू0जी0 2022 की पंजीकरण स्लिप पर फोटो नहीं है अथवा फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है, ऐसे अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र पर नीट परीक्षा 2022 के फार्म में चस्पा की गई स्वप्रमाणित फोटो चस्पा कराकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
8. निजी क्षेत्र के कालेजों के लिए आवंटन-प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, (Director General, Medical Education & Training, U.P. payable at Lucknow) के पक्ष में निर्गत किया गया हो, नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।
9. उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC Certificate) का जाति प्रमाण-पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2022 अथवा इसके पश्चात् का बना ही मान्य होगा।
10. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जाना अनिवार्य है।

11. शैक्षणिक सत्र 2022-23 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र मेडिकल/डेंटल कालेजो हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क संबंधी शासनादेश तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फी-स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।
12. ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जायेगा और वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावंटन (**Resuffle**) हेतु इच्छुक है, वह कालेज की सिक्योरिटी, हास्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित कालेज में रिपोर्ट करते हुए जमा की जायेगी।
13. यू0पी0 नीट यू0जी0-2022 की ऑन लाइन काउन्सिलिंग से राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजो की सीटों के सापेक्ष आवंटित छात्रो की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 09 नवम्बर 2022 से 13 नवम्बर 2022 तक पूर्ण की जानी है।
14. अद्यतन सूचनाओ हेतु विभागीय वेबसाइट dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

महानिदेशक।